

21 20

पत्रावली वकील वारिया के जामिन फर बाबल
रेहरोखा पर पैसा वकील वारिया को
सुना गया। ज्ञान फर स्वीकार किया जाकर
बाद पुनः नम्बर पर दिया जाता है। वामन
विभाजन प्रस्ताव 25.2.20 को पेस हो।

25 20

पत्रावली पैसा वकील वारिया उपर से वामन
विभाजन प्रस्ताव 17.3.20 को पेस हो।

17.3.20

पत्रावली पैसा वकील परसकार उपस्थित हो
तहसीलदार रामगंजमंडी द्वारा प्रस्तुत विभाजन
प्रस्ताव जो पत्रांक 7061 दि. 24.12.19 के द्वारा
प्रेषित किये गये वह शायिद पत्रावली हो।
विभाजन प्रस्ताव पर विडान अधिवक्ता
बादी को सुना गया।

तहसीलदार रामगंजमंडी द्वारा प्रस्तुत
विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाकर ग्राम
वेराबाद की रूमि का परसकारों के


तारीख हुकम	मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है	खत नं.	क्रमा	दिना
	नाम परसकाल मय विवाहा	2523	0.40	-
(1)	विमलाबाई पत्नी कालू	2524	0.18	उत्तर
	जाति श्रीगा साठ गोटा	2525	0.18	-
		2526	0.02	-
	किता 4		0.78	है
(2)	उर्मिला, गायत्री, चंद्रकला,	2518	0.48	-
	धाप्रबाई, रामभद्रासबाई,	2521	0.01	-
	श्रीलाबाई, सुलोचनाबाई,	2522	0.20	-
	सावित्री, सोहनबाई,	2524	0.39	दठ
	पुत्री अरालाल, हीवल्लभ	2532	0.55	-
	पुत्र अरालाल, तुलसीराम	2533	0.49	-
	पुत्र कान्हा, जाति श्रीगा	2539	0.24	-
	नाथूलाल पुत्र उदयलाल			
	जाति श्रीला साठ झाकीपुरा	किता 7	2.36	है
	वृद्धीलाल पुत्र यन्नालाल			
	ममता कुमारी पुत्री बनवारीलाल,			
	देवराज पुत्र जयकिशन			
	जाति श्रीगा सा. बून्डी बा.			

तदनुसार अंतिम डिफ्टी मुर्तिव हा/राजपुत्र रिफार्ड में अमल हो विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी मकदम अनुसार नामीम की जावेगी
 पभावली की निर्णित में जगया की जाऊ प्रविष्ट लेख भठडाए हो
 निर्णय आज दि. 17.03.2020 को सार इजलास सुनाया गया।

17/3/20
 (चिमनलाल श्रीगा)
 R.A.S.

क्र. नं. पं.	हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकूम की तामील में जारी हुए
-----------------	-----------------------------------	--

पुनः च. पुलिसवादीगणों को जरिये
 स्थाई ब्यादेश पाबंद किया जाता है,
 कि वे वारियां के हिस्से आतमी जाण
 अमि मौजा खैराबाद खसरा नं० $\frac{2523}{0.40}$,
 $\frac{2524}{0.18}$, $\frac{2525}{0.18}$, $\frac{2526}{0.02}$ किला 4 कबा
 0.78 हेक्टर पर वारियां के कब्जे
 में किसी प्रकार की मदावलत व
 मजाहमत न ला सके, और न
 ही जरिये पुलिसवादी ही कर्तव्य
 वारियां के उक्त अमि पर शांतिपूर्वक
 कार्रवाई करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 रामगंजमण्डी

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे इतफाई

(अंकिर 20, कल 6-7, जापला दीवावी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अवालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंज मठडी

व इजलास चिमनलाल मीठा (R.A.S.)
विमलाबाई बनाम बदीलाल

दावा बाबत 53-188 R.T Act
260 सं. 2017

मुकद्दमा नं. 260
यह मुकद्दमा आज जास्ते इतफिकाल कतई रु-व-रु चिमनलाल मीठा (R.A.S.)

बहाजरी श्री S.R. अहीर एडो मिनजानिव मुद्दई व
मिनजानिव मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

लक्ष्मीलाल, रामगंजमठडी आरा अखिल विभागा उन्नाव
स्वीकार किया जाकर ग्राम खैरोबाड की इकि का पसकारी
के मरम इला पर अकेलातुसार खाला विभागा किया
जाता है

बाबत 0
बाबत 0
फीसदी सालाना आज की तारीख

जर्बा इस मुकद्दमे के मय सुद व बरह 0
से तारीख बसुलयाबी तक 17 माह 03 2020
को अदा करे।

बसुत मेरे वस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 03 2020
को जारी की गई।

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प जर्जी वा		स्टाम्प बकालतनामा	
स्टाम्प बकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प बजई सबूत		महनताना बकील पर	
महनताना बकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुकमनामा	
बाबत इजराय हुकमनामा		मुतफरिफ	
मुतफरिफ		मीजान	

नोट-इस लखे के काम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करवा
बाहिबे।

रा. नु. बो. 139-2006-1;00,000 काम

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमठडी